शुद्धि पत्र

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल के कार्यालय पत्रांक सं0 295/10–निर्माण/20–21 दिनांक 3 जून, 2021 को **समाचार पत्र हिन्दुस्तान** में प्रकाशित निविदा सूचना की मद संख्या (01) जो कि मुनस्यारी में साइनेज लगाये जाने के सम्बन्ध में है, कि शर्तो में निगम मे पंजीकृत निविदादाताओं से ही माँगी गयी थी। निगम मे मात्र सिविल एवम् विद्युत के ही निविदादाताओ की ही सभी श्रेणीयों में पंजीकृत किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित कार्य की निविदा हेतु साइनेज के कार्यो हेतु शासकीय विभागों मे पंजीकृत ठेकेदारो द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है। अतः वर्णित निविदा की विक्रय तिथि दिनांक 21/06/21 से 26/06/21 तक तथा निविदा दिनॉक 28/06/21 को अपरान्ह 1.00 बजे तक डाली जायेगी तथा 28/06/21 को 2.00 बजे खोली जायेगी।
निविदा विक्रय एवम् डाले जाने, खोले जाने का स्थल पूर्ववत रहेगा।

शर्ते निम्नानुसार है।

1–पंजीकृत प्रमाण पत्र।
2–विगत तीन वर्षो मे किये गये कार्य का अनुभव।
3–निविदादाता को जी0एस0टी0, आयकर प्रमाण पत्र मे पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4–निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्नकरना आवश्यक है
5–अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी ।
6– निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
7–अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
8–अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प डयूटी लगाना आवश्यक है।
9–निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23–999–11/96लो.नि.वि. के अनुभाग–9 लखनऊ दिनॉक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।
10–यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुंगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11–सभी कार्यो में निगम पर धन उपलब्धताअनुसार ही कार्य करवाये जायेंगे।
12–धरोहर धन राशि के स्थान पर निविदादाता द्वारा Bid Security Declearation संलग्न करना अनिवार्य है।
13–निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा मे निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
14–निविदा की दरें प्रतिशत मे ही मान्य होगी, जो कि अंक एवं शब्दो मे स्पष्ट रूपर से लिखा जाना अनिवार्य है।
15– कार्य के लिये ICR Approved Cobtractor प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
16– कार्य को करने वाली फर्म द्वारा अनुबन्धित कार्य का 2 वर्ष अनुरक्षण Maintenance करना अनिवार्य होगा।
17– कार्य के लिए सभी साईनेज आईटम IRC/IS कोड के अनुसार होंगे।
18– कार्य के लिए सप्लाइर/फर्म को उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली का पालन करना होगा।
19– कार्य के लिए मैटीरियल/प्रोडक्ट का टैस्ट सार्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

महाप्रबन्धक

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० नैनीताल

पत्रांक मै.श्रो / 10–निर्माण / 2020–21 दिनांक। 1 जून 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. समस्त सहायक अभियन्ताओ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कैशियर निर्माण खण्ड को तदनुसार निविदा विक्रय हेतु प्रेषित।
7. कम्प्यूटर कक्ष को वैबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक